संख्या–सा–3—जी० आई०–11/दस–901/94

प्रेषक,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 1995

विषय :–राज्य सरकार के पेंशन/ परिवार पेंशन भोगियों को अन्तरिम राहत की स्वीकृति।

महोदय,

विल (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन भोगियों को निम्नलिखित दर पर अन्तरिम राहत की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की है :–

(1) दिनांक 1–4–1995 से प्रत्येक माह 50/–रुपये की दर से,

(2) दिनांक 1–4–1995 से ही मूल पेंशन/ परिवार पेंशन का 10% की दर से किन्तु प्रत्येक माह 50/– रुपये से कम नहीं।

2—यदि पेंशन भोगी/ परिवार पेंशन भोगी, भारत या विदेश में किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार या उसके अधीन किसी निगम/ कम्पनी/ निकाय/ बैंक में पुर्नयोजित/ नियोजित है, जिसमें ऐसे निगम/ कम्पनी/ निकाय/ बैंक में स्थायी आमेलन भी शामिल है, तो वह ऐसे पुनर्योजन/ नियोजन की अवधि के दौरान पेंशन/ परिवार पेंशन पर अन्तरिम राहत लेने का हकदार नहीं होगा।

3—अन्तरिम राहत को एक अलग घटक के रूप में दर्शाया जाये। इस घटक पर कोई महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी। अन्तरिम राहत की अदायगी करते समय पैसों को निकटतम रुपये में बदल दिया जाये।

4—एक से अधिक पेंशन ले रहे व्यक्तियों के मामले में, अन्तरिम राहत की गणना सभी पेंशनों को जोड़कर की जायेगी।

5—पेंशन/ परिवार पेंशन पर उपरोक्तानुसार अन्तरिम सहायता पर चालू वित्तीय वर्ष में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–62 के अन्तर्गत निम्नानुसार लेखा शीर्षकों के नामें डाला जायेगा :–

पेंशनर की श्रेणी	लेखा शीर्षक
1—राजकीय पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर	2071—पेंशन तथा सेवा निवृत्ति हित लाभ– 01—सिविल–आयोजनेतर– 101—अधिवर्षता और सेवानिवृत्ति भत्ते– 32—अन्तरिम सहायता–
2—सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर	2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ– 01—सिविल–आयोजनेतर– 109—राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन– 01—सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक सुविधायें– 32—अन्तरिम सहायता–

पेंशनर की श्रेणी	लेखा शीर्षक
3—सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर	2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ– 01—सिविल–आयोजनेतर– 109—राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन– 02—सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्तिक सुविधायें– 32—अन्तरिम सहायता–
4—राज्य विश्वविद्यालयों के पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर	2071—पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्त हित लाभ– 01—सिविल–आयोजनेतर– 109—राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन– 03—राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन– 32—अन्तरिम सहायता–

मानक मद "32—अन्तरिम सहायता" के अन्तर्गत आवश्यक धनराशि की व्यवस्था यथास्थिति पुनर्विनियोग अथवा पुनर्विंतरण के माध्यम से कर ली जायेगी।

6—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उ० प्र० लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

7—यह आदेश शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर पेंशनरों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/ शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

भवदीय,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव।

संख्या–सा–3—जी० आई०– 11(1)/ दस—901/94

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3—राज्यपाल सचिवालय।

4—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

5—महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) उ० प्र०, इलाहाबाद।

6—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

7—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, शासन।

8—निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिराभवन, लखनऊ।

9—मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, बिक्रीकर, वन, खाद्य तथा रसद, उद्योग, कृषि, ग्राम्य विकास, पशुपालन, शिक्षा विभाग, इरलाचेक, उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा/ विधान परिषद् सचिवालय विभाग।

10—पेंशनर्स संघों को निर्धारित सूची के अनुसार।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

संख्या सा–3–जी० आई०–11 (2)/ दस-901/94

प्रतिलिपि निम्नलिखित प्रत्येक को 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1—मैनेजिंग डाइरेक्टर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं० 12, बम्बई 40002।

2—जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 14 इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता–11।

3—जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, केन्द्रीय कार्यालय ब्रांच, एक्सपेंशन प्रोग्राम, पोस्ट बाक्स नं० 6056-3, फजल रोड आफ कफूपरेड कोलाबा, बम्बई–11।

4—जनरल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, चन्दरमुखी नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई 40002।

5—जनरल मैनेजर, पंजाब बैंक, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली (100 प्रतियां)।

6—जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, यूनियन बैंक बिल्डिंग 29, बैकबे रिक्लमेशन, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई—400020।

7—जनरल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स, हरिमन प्वाइन्ट, पोस्ट बाक्स नं० 234 बम्बई–400021 (एक प्रति)।

8—रीजनल मैनेजर इण्डिया ओवरसीज बैंक, प्रधान कार्यालय, 151 माउन्ट रोड मद्रास–21।

9—जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 ब्रबोरने रोड, कलकत्ता–1।

10—जनरल मैनेजर, केनारा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जयचम राजेन्द्र रोड, पोस्ट बाक्स नं० 0648 बंगलौर–2।

11—जनरल मैनेजर, सिन्डीकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं० 1, मनीपाल (एस० क०), कर्नाटक स्टेट।

12—जनरल मैनेजर, देना बैंक प्रधान कार्यालय देवकरन ननजी बिल्डिंग्स, पोस्ट बाक्स नं० 41 फोर्ट, बम्बई 40000।

13—जनरल मैनेजर, इण्डियन बैंक, प्रधान कार्यालय, इंडियन बैंक बिल्डिंग्स, पोस्ट बाक्स नं० 1384, 17 नार्थ बी रोड मद्रास–1।

14—जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 1177, बुधवार पीठ, पोस्ट बाक्स नं० 514, पूना–2।

15—मैनेजर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, 28 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली—110001।

16—मैनेजर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर–302005 (500 प्रतियां)।

17—चीफ मैनेजर (वित्त एवं लेखा) स्टेट बैंक आफ ट्रांवकोर, मुख्य कार्यालय पोस्ट बाक्स नं० 34, त्रिवेन्द्रम 69500।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

संख्या–सा–3–जी आई०–11 (3)/दस–901/94

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

	(प्रतियां)
1—भारतीय स्टेट बैंक, सामान्य विभाग, प्रधान कार्यालय हलवासिया कोर्ट, लखनऊ।	3000
2—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा एल०आई०सी इन्वेस्टमेन्ट बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।	1350
3—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज, लखनऊ।	500
4—जनरल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।	400
5—जोनल मैनेजर, बैंक आफ इंडिया, 1 नवल किशोर रोड, लखनऊ।	50
6—रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ (70) फूलबाग क्रासिंग, माल रोड, कानपुर (70) 35 आवास विकास कालोनी, बेतिया हाता, गोरखपुर (45), विभव नगर, समसाबाद रोड, आगरा (40), 18 न्यू रोड, देहरादून (75) मेरठ "ए" एवं मेरठ "बी" इस्टर्न कचहरी रोड–(60-70 प्रतियां)।	450
7—रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया, एच 1/117/240, पांडुनगर, कानपुर (60) कृष्णा विलास, महुआ मार्ग, गाजीपुर टी०डी० कालेज के सामने जौनपुर, (60) रथयात्रा क्रासिंग, वाराणसी (60) गोयल भवन, पांडे बाजार, आजमगढ़ 1940 यू० पी०आर०एस०टी० के सामने मेरठ (60)	240
8—रीजनल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, 4-बी, हबीबुल्ला स्टेट, हजरतगंज, लखनऊ।	108
9—रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, रचना बिल्डिंग थर्ड फ्लोर, 2 राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, पटेल नगर, नई दिल्ली।	30
10—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।	110
11—डिवीजनल मैनेजर, कैनारा बैंक, 71, नेहरु नगर, एम०जी० रोड, आगरा-2	50
12—डिवीजनल मैनेजर, सिंडीकेट बैंक, 6 भगवान दास मार्ग सरोजिनी भवन, नई दिल्ली।	125
13—रीजनल मैनेजर, देना बैंक, ज्योडोर हाउस, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।	35
14—जोनल मैनेजर, इंडियन बैंक, 1-ई, झंडेवाला प्रसार माज के पास, दिल्ली–110055	35
15—असिस्टेन्ट डिवीजनल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, 6/44 डब्लू०ई०ए० आजमखान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।	50
16—रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहांगीराबाद मेंसन, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ–22600।	50
17—डिवीजनल मैनेजर, कैनारा बैंक, प्रतिभा थियेटर के पास, लखनऊ।	50

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 78 सा० वित्त—16–9–95—(3132)—35,000—(कम्प्यूटर/ आफसेट)।